न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **अशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3524–तीन/14 विरूद्ध आदेश सीमाकंन पंचनामा दिनांक 3–7–2014 एवं प्रतिवेदन दिनांक 15–7–2014 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील आष्टा जिला सीहोर प्रकरण कमांक 667/ए–68/14–15.

.....

प्रमोद कुमार सुराना, आयु वयस्क
आत्मज श्री हुकुमचन्द सुराना,
निवासी कन्नौद रोड, आष्टा,
जिला सीहोर म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर जिला सीहोर

.....अनावेदक

.....

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/9/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील आष्टा

जिला सीहोर द्वारा पारित पंचनामा आदेश दिनांक 3–7–2014 एवं प्रतिवेदन दिनांक 15–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का ग्राम आष्टा द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन दिनांक 15–7–2014 पेश किया गया है कि भूमि खसरा नंबर 423/5 रकबा 0.732 हैक्टेयर नोईयत गोहा के नाम से दर्ज है । इस भूमि की स्थल जांच करने पर उक्त भूमि के अंश भाग 55×60 वर्ग फीट अर्थात 0.030 हैक्टेयर भूमि पर आवेदक प्रमोद कुमार सुराना द्वारा मकान दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। पूर्व में इस भूमि के अंश भाग 0.010 हेक्टेयर पर दुकान एव शेड डालकर अतिक्रमण प्रतिवेदन तत्कालीन पटवारी को दिये जाने पर प्रकरण क्रमांक 376/अ–68/09–10 में पारित आदेश दिनांक 11–1–2013 के अनुसार कार्यवाही की गयी है जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी आष्टा के न्यायालय में विचाराधीन होकर प्रचलित है । उक्त रकबे को छोडकर 0.020 हैक्टेयर भूमि हेतु आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है । प्रकरण में पारित सीमाकंन प्रतिवेदन दिनांक 15–7–2014 एवं पंचनामा दिनांक 3–7–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) यह तथ्य निर्विवाद है कि कथित दाविया भूमि नगर पालिका क्षेत्र में होकर नगर पालिका द्वारा निर्मित दुकानों का प्रार्थी किरायेदार है, ऐसी स्थिति में धारा 248 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है ।

(2) दाविया भूमि का जब एक बार सीमांकन किया जाना बताया जा रहा है और 0.010 हैक्टेयर पर आवेदक का नाजायज कब्जा बताया जा रहा है, जिस पर रेवेन्यू प्रकरण तहसीलदार के न्यायालय में लंबित होकर तहसीलदार द्वारा आदेश भी पारित

किया गया है और दिनांक 23–11–12 को सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/अ/12 में अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की गई है, तब पुनः सीमाकंन बिना किसी आदेश के बिना प्रकरण दर्ज किये कथित टोटल सर्वे मशीन से किये जाने की क्या आवश्यकता थी और ऐसा सर्वे मशीन का कथित सीमाकंन, प्रकिया और विधि अनुसार नहीं है ।

(3) कथित टोटल सर्वे मशीन द्वारा किये गये कथित सीमाकंन और इस सीमाकंन के आधार पर संहिता की धारा 248 के रेवेन्यू प्रकरण की कार्यवाही को भी व्यवहार वाद क्रमांक 123/अ/2014 में चेलेन्ज किया है और उक्त सिविल प्रकरण में दिनांक 17–4–15 को अस्थाई निषेधाज्ञा भी म0 प्र0 शासन और तहसीलदार आष्टा के विरूद्ध पारित की गई है ।

(4) सिविल न्यायालय के द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है।

4/ अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत तर्कों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों का बारीकी से अध्ययन किया गया । आवेदक द्वारा उनके लिखित तर्क, जो उनके द्वारा दिनांक 8–9–15 को मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये, के संलग्न न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2 आष्टा, जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 123ए/2014 में पारित आदेश दिनांक 17–4–2015 का भी अवलोकन किया गया । अपने इस आदेश में माननीय व्यवहार न्यायालय ने प्रकरण की पृष्ठभूमि का विस्तृत विवरण दिया है, तथा इसी भूमि एवं इन्हीं पक्षकारों के संबंध में व्यवहार न्यायालय द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक 40ए/12 में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23–11–12 का हवाला भी लिया है । प्रकरण में विवेचना उपरान्त माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 17–4–2015 के माध्यम से प्रतिवादीगण तहसीलदार, आष्टा म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर सीहोर के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा, व्यवहार न्यायालय में

प्रकरण के अंतिम निराकरण तक के लिए जारी की गई है, तथा तब तक के लिए किसी अन्य माध्यम से भी हस्तक्षेप नहीं कराए जाने बाबद् उल्लेख किया है ।

6/ व्यवहार न्यायालय के उपरोक्त अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 17–4–15 के प्रकाश में मेरे द्वारा यह निगरानी प्रकरण राजस्व मण्डल न्यायालय में खारिज किया जाता है । साथ ही म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, सीहोर एवं तहसीलदार, आष्टा, जिला सीहोर को यह निर्देशित किया जाता है कि माननीय व्यवहार न्यायालय के समक्ष म0 प्र0 शासन का पक्ष मजबूती से रखें, एवं आवश्यकता हो तो माननीय व्यवहार के समक्ष त्वरित सुनवाई एवं निराकरण के लिए आवेदन भी लगाए, ताकि इस वाद–विषय से सम्बन्धित यदि कोई भी शासन के हित हों, तो उन्हें भली–भांति सुरक्षित किया जा सके ।

7/ प्रकरण समाप्त किया जाता है । दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0 प्र0
ग्वालियर